आदर्श उपविधियां

प्रारम्भिक सहकारी बैंक लिमिटेड

एवं

वेतनभोगी (सेलरी अर्नरस) सहकारी ऋण समिति लि०

निबन्धक :

सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश

जनवरी, १९६९

प्रारम्भिक सहकारी बैंक लिमिटेड
एवं
वेतनभोगी (सेलरी अर्नरस) सहकारी ऋण समिति लिमिटेड
की आदर्श उपविधियां

१—नाम और मुख्यालय

इस बैंक/समिति का नाम..... .....

होगा, और इसका मुख्यालय..... .....में होगा

२—परिभाषाएं

(१) इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो तब तक—

(क) "**अधिनियम**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६) से है। तथा जैसा वह समय-समय पर बाद में संशोधित होगा।

(ख) "**बैंक/समिति**" से तात्पर्य.....से है।

(ग) "**संचालक मण्डल**" का तात्पर्य बैंक/समिति के संचालक मण्डल से है जिसे अधिनियम की धारा २९ के अधीनस्थ बैंक/समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है।

(घ) "**सहकारी बैंक**" से तात्पर्य जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड.....। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ, जिसकी बैंक/समिति सदस्य हो, है।

(ङ) "**सचिव**" का तात्पर्य बैंक/समिति के सचिव से है जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा ३१ के अन्तर्गत हुई हो।

(च) "**अधिकतम दायित्व**" का तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो बैंक/समिति उधार ले सकती है। इसके अन्तर्गत अंश पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

(छ) "**स्वाधिकृत पूंजी**" (निजी पूंजी) का तात्पर्य बैंक/समिति की संचित हानियों को, यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात् निम्नलिखित मदों के योग से है :–

(१) दत्त अंश पूंजी

(२) संचित रक्षित निधि

(३) अधिनियम की धारा ५८ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि को छोड़कर बैंक/समिति के लाभ से सृजित अन्य निधियां और

(४) सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से स्थापित निधियां तथा विशेष रिजर्वस।

(ज) "**निबन्धक**" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां के निबन्धक से है, जैसा कि अधिनियम की धारा २ (द) में परिभाषित है।

(झ) "**नियम**" से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है।

(ञ) "**उपविधि**" का तात्पर्य बैंक/समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधि से है।

(२) अधिनियम और नियमों में परिभाषित शब्द और पद जिनका उपयोग इन उपविधियों में किया गया है, का जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है।

३–कार्यक्षेत्र

बैंक/समिति का कार्य क्षेत्र..... .. तक सीमित होगा।

४–उद्देश्य

बैंक/समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य

(१) सदस्यों में एकता उत्पन्न करना, स्वावलम्बन और पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना।

(२) सदस्यों को घरेलू, धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए उचित दर पर ऋण प्रदान करना।

(३) बैंक/समिति के हेतु, चालू (करंट) बचत (सेविंग्स), मियादी (फिक्सड) अमानतों तथा अन्य लेखों द्वारा धन प्राप्त करना, और समय-समय पर उस सीमा तथा शर्तों पर जिसे संचालक मण्डल उचित समझे, ऋण प्राप्त करना।

(४) वृद्ध अवस्था, बीमारी, समय पूर्व अवकाश ग्रहण, आकस्मिक मृत्यु तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं के लिए नियमित रूप से एक नियत धनराशि जमा करने के लिए, सदस्यों में मितव्ययिता की भावना को प्रोत्साहन देना।

(ख) गौण

(१) सदस्यों में, ईमानदारी ठीक समय पर तथा विधिपूर्वक कार्य करने की आदत को बढ़ावा देना।

(२) सदस्यों को सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करना।

(३) सामान्य रूप से बैंक/समिति के व्यवसाय बढ़ाने और विकास करने के लिए किसी एक या समस्त उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य करना, जोकि इस दिशा में सहायक एवं हितकर हों।

५–सदस्यता

क–(१) नियम ३८ के अनुसार सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र बैंक/समिति के सचिव को दिया जायगा। सचिव का कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना पत्र को शीघ्रातिशीघ्र संचालक मण्डल के सम्मुख इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए रखे। संचालक मण्डल इस सम्बन्ध में सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पैंतिस दिन में आवश्यक निर्णय लेंगे जब तक कि इस अवधि में ऐसा करना अनिवारणीय परिस्थितियों में सम्भव न हो। ऐसा निर्णय प्रार्थी को निर्णय के दिनांक से सात दिन के अन्दर सूचित किया जायगा।

(२) अगर सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के साठ दिन में कोई निर्णय

नहीं लिया और सूचित किया गया हो तो यह समझा जायगा कि सम्बन्धित सदस्यता का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है।

(३) सदस्यता के अस्वीकार किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा ९८ की उपधारा १ (ग) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

(४) बैंक/समिति का कोई सदस्य यदि बैंक/समिति का ऋणी नहीं है या वह किसी ऐसे ऋण को जो अभी चुकता नहीं हुआ है, जामिन नहीं है, बैंक/समिति को एक माह का नोटिस देकर, बैंक/समिति की सदस्यता से पृथक हो सकता है। नोटिस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और अधिनियम की धारा २५ में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में बैंक/समिति द्वारा उसे देय राशियों की वापसी का अधिकारी होगा।

ख–बैंक/समिति की सदस्यता समस्त स्थायी और स्थानापन्न कर्मचारियों, परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर्स) तथा अनुमोदित अभ्यर्थियों..... ... के लिए खुली होगी।

ग–प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो बैंक/समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को ५० पैसे प्रवेश शुल्क देना होगा जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा।

घ–(१) सदस्य बनने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता के काल में उनमें नियमानुसार किये गये संशोधनों या परिवर्तनो से बाध्य रहेगा। ऐसे घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होंगे। जो व्यक्ति बैंक/समिति के निबन्धन के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य बन चुका है उसे भी बैंक/समिति के निबन्धन होने के बाद एक माह के अन्दर घोषणा पत्र पर निष्कासन के आतंक से हस्ताक्षर करने होंगे।

(२) कोई व्यक्ति सदस्यता के किन्हीं अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक कि वह उपरोक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा और जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में बैंक/समिति को उस धनराशि

का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने बैंक/समिति में ऐसा हित अर्जित कर लिया हो जो नियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

ङ–कोई व्यक्ति नियमों में दिये गये उपबन्धों के अधीन—

(अ) बैंक/समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि :–

(१) उसमें सदस्यता के लिए, अधिनियम, नियमों और उपविधियों में अपेक्षित अर्हताएं न रही हों।

(२) वह अधिनियम, नियम और उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके बैंक/समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(३) वह विकृत चित्त का हो जाय।

(४) उसकी सदस्यता नियम ८ के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत हो।

(ब) कोई सदस्य बैंक/समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है :–

(१) यदि उसने बैंक/समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या बैंक/समिति की किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई हो और ऐसे जुर्म के लिए भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अधीन दण्ड मिला हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त उत्पन्न अनर्हता अपील में विमुक्ति पर और दोष सिद्ध की दशा में, यथास्थिति सजा पूरी कर लेने पर, तथा/या अर्द्ध-दण्ड का भुगतान कर देने पर कायम न रहेगी।

(१) यदि उसने उपविधियों का उल्लंघन करके बैंक/समिति के हित को हानि पहुंचाई हो।

(३) यदि उपविधियों के किन्ही उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाय या किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो, और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को बैंक/समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे बैंक/समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयां हुई हों।

च–किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपरोक्त उपविधियों के अधीन हटाना या निकालना हो, संचालक मण्डल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से १० दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे बैंक/समिति की सदस्यता से, यथास्थिति, हटा या निकाल दिया जाय ।

छ–(१) यदि नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाय अथवा प्राप्त उत्तर संचालक मण्डल की राय में असन्तोषजनक हो, तो उक्त सदस्य संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से १५ दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प यथास्थिति हटा दिया जायगा या निकाल दिया जायगा ।

(२) उपरोक्त ऐसे प्रयोजन के लिए बुलाई गई संचालक मण्डल की बैठक की कार्य-सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भी भेजी जायगी, जिसे हटाना या निकालना हो और सम्बद्ध सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष, यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वयं अपने मामले के बारे में कहने का अधिकार होगा ।

ज–उपरोक्त आधार पर निकाले हुए सदस्य को अधिनियम की धारा ९८ की उपधारा १ (ग) के अन्तर्गत निबन्धक को अपील करने का अधिकार होगा ।

झ–उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा २७ की उपधारा २ के अधीन हटाया या निकाला गया बैंक/समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो दो वर्ष की अवधि तक बैंक/समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक/समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसके संचालक मण्डल में निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र न होगा ।

६–दायित्व

बैंक/समिति के ऋणों के लिए सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंश की नामी कीमत तक सीमित होगा ।

७–पूंजी

बैंक/समिति की पूंजी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है :–

(क) अंश पूंजी

(ख) ऋण और अमानतें,

(ग) रक्षित निधि, अन्य निधि तथा लाभ,

(घ) अनुदान और दान ।

८–अंश

(क) अंश पूंजी

(१) बैंक/समिति की अधिकृत अंश पूंजी अनिश्चित संख्या के अंशों से बनेगी । प्रत्येक अंश की कीमत.....रुपये होगी ।

(२) संचालक मण्डल समय-समय पर जैसा उचित समझे, सदस्यों द्वारा क्रय करने के लिए पूंजी जारी करेगा ।

(३) प्रत्येक सदस्य कम से कम एक अंश परन्तु कुल अंश की पूंजी के दसवें भाग अथवा ५ हजार रुपये के मूल्य से अधिक के अंश न क्रय करेगा न धारित करेगा ।

(ख) अंश का दिया जाना (एलाटमेन्ट) और भुगतान

(१) प्रार्थी या उसके प्रति हस्ताक्षरित सदस्यता के आवेदन पत्र के आधार पर अंश दिये जाते ही आवेदक बैंक/समिति का सदस्य मान लिया जायेगा ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को जिसे कोई अंश दिया जायगा बिना किसी व्यय के अंश का प्रमाण पत्र पाने का अधिकार होगा, जिसमें दिए गए अंश की संख्या और चुकाये गये धन का उल्लेख होगा । अंश के प्रत्येक प्रमाण पत्र पर बैंक/समिति के सचिव और संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत एक संचालक के हस्ताक्षर होंगे ।

(३) यदि संचालक मण्डल को यह सन्तोष हो जाय कि अंश का प्रमाण-पत्र फट गया है, नष्ट हो गया है, या खो गया है तो वह एक रुपया लेकर और यदि चाहे तो क्षतिपूर्ति पत्र (इन्डेम्निटी फार्म) लिखाकर

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति द्वारा उसको नवीनीकरण कर सकता है या दूसरे प्रमाण पत्र द्वारा पुनः स्थापत कर सकता है।

(४) प्रत्येक अंश प्रमाण पत्र पर किसी व्यक्ति के नाम किया गया हस्तांतरण सम्बन्धित पृष्ठांकन सचिव तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत किसी अन्य एक व्यक्ति से हस्ताक्षरित होगा।

(५) किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में उक्त सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अंश या पूंजी पर, उसकी अमानतों तथा उसके मिलने वाले लाभांश या अधिलाभांश (बोनस) या लाभ पर बैंक/समिति का प्रथम प्रभार रहेगा। ऐसे सदस्य भूतपूर्व सदस्य की १५ दिन का नोटिस देकर उसके खाते में जमा अथवा उसका मिलने वाले देय धनराशि बैंक/समिति किसी भी ऋण के भुगतान में मुजरा कर सकता है। ऐसे अंश सदस्यता के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य किसी वर्तमान सदस्य के नाम जारी करने के लिए बैंक/समिति स्वतंत्र है, और यही इस बात का अन्तिम प्रमाण समझा जायगा कि ऐसे सदस्य भूतपूर्व सदस्य के अधिकार समाप्त हो गये हैं।

(६) किसी अंश पर उस व्यक्ति के जिसके नाम सदस्य के रूप वह अंश पंजीबद्ध है, सर्वाधिकार के अतिरिक्त किसी पूर्ण अथवा आंशिक हित तथा अन्य किसी प्रकार के अधिकार को मान्यता देने के लिए बैंक/समिति बाध्य न होगा।

(७) अंश के क्रय करने के आवेदन पत्र के साथ अंशों का कुल मूल्य चुकता करना होगा। परन्तु विशेष परिस्थिति में संचालक मण्डल अंश का मूल्य किश्तों में भी अदा करने की अनुमति दे सकता है।

(८) यदि कोई सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर अंश की देय (वाजिब) किश्त की धनराशि नहीं चुकाता तो उसे बकाया पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दर से जो ९ प्रतिशत से अधिक न होगी, ब्याज देना होगा।

(९) किसी सदस्य से उसके अंश की आंशिक वसूली अथवा उगाही में बैंक/समिति द्वारा प्रदर्शित ढील के कारण, आगे दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत, अंश की जब्ती को रोका नहीं जा सकता।

(ग) अंश की जब्ती

(१) यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए निर्धारित अन्तिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता तो उसके बाद संचालक मण्डल किसी समय ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश दे सकता है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन ब्याज के सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश या अंशों जिन पर उक्त धन देय है, जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते हैं और उन अंशों से सम्बंधित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। इस भांति जब्त किये गये अंश जब्ती की नोटिस की तिथि से ३ मास के अन्दर तक सारा बकाया और प्रति अंश १ रुपया नवीनीकरण शुल्क देकर पुनः जारी कराये जा सकते हैं। नवीनीकरण के लिए उपरोक्त ३ मास की उल्लिखित अवधि के समाप्ति के उपरान्त इस भांति जब्त किया गया धन रक्षित निधि में जमा कर दिया जायगा।

(२) सचिव और संचालक मण्डल के एक सदस्य से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र की अंशों की जब्ती संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा हुई है, उसमें निर्दिष्ट तथ्य का अन्तिम प्रमाण होगा।

(३) संचालक मण्डल द्वारा जब्त घोषित प्रत्येक अंश उसके बाद बैंक/समिति की सम्पत्ति होगा और उसके बाद किसी भी समय उन शर्तों और ढंगों से जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे उसकी बिक्री अथवा पुनर्निर्गमन या अन्य प्रकार से उनका निस्तारण किया जा सकता है।

(४) जिस सदस्य का अंश जब्त किया गया है, वह जब्ती पर ध्यान दिये बिना, जब्ती के समय अंश के आधार पर बाकी सारे धन तथा अंशों की जब्ती के सम्बन्ध में बैंक/समिति द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(५) जब तक जब्त किए गए अंश उपरोक्त विधि से पुनः बिक्री या वितरित या अन्य ढंग से निस्तारण नहीं किये जाते तब तक संचालक मण्डल की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय बैंक/समिति को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती से उन्मुक्ति दी जा सकती है।

(घ) सदस्य को उत्तराधिकारी नामांकित करने का अधिकार :

(१) (क) बैंक/समिति का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति और व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, बैंक/समिति की पूंजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायगा अथवा उसके मूल्य का या बैंक/समिति द्वारा इसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायगा। नामांकन न किये जाने की दशा में सदस्य का अंश तथा बैंक/समिति में अन्य हित ऐसे व्यक्ति को चुका दिये जायेंगे या हस्तांतरित कर दिये जायेंगे जिसे संचालक मण्डल नियमों के अधीन उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई हस्तांतरण तब तक नहीं होगा जब तक कि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि, यथास्थिति, बैंक/समिति का सदस्य बना लिया जाय।

ख–जबकि कोई सदस्य अपने द्वारा धन अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करे तो वह जहां तक व्यवहार हो, सम्पूर्ण अंशों के रूप में प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संक्रमित की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा।

(२) सदस्य द्वारा किया गया हर नामांकन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित और लिखित होगा और सदस्य के जीवन काल में बैंक/समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इसी भांति अन्य नामांक करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

(३) अंश के स्पष्ट कानूनी स्वत्वधिकारी द्वारा किये गये या होने वाले हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने या किसी हस्तांतरण को क्रियात्मक रूप देने या ऐसा ही कार्य करने के परिणामस्वरूप बैंक/समिति पर उन व्यक्तियों के प्रति जो अंश में किसी सामान्य अधिकार अथवा हित का दावा करते हों कोई उत्तरदायित्व न होगा। भले ही ऐसे अंश पर बैंक/समिति को इस भांति के अधिकार व हित का दावा करने के द्वारा नोटिस मिल चुकी हो।

९–उधार लेना

(क) बैंक/समिति का अधिकतम दायित्व उसके वार्षिक सामान्य बैठक में निश्चित किया जायगा किन्तु वह उसके स्वामित्व युक्त पूंजी (निजी पूंजी) के दस

गुने से अधिक न होगा और वह या तो (१) उस केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिससे बैंक/समिति सम्बद्ध, हो और ऋणी हो अनुमोदन के अधीन होगा, या (२) यदि बैंक/समिति किसी सहकारी बैंक से सम्बद्ध न हो अथवा यदि सम्बद्ध हो किन्तु उसकी ऋणी न हो तो निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैंक/समिति एक से अधिक सहकारी बैंक से सम्बद्ध हो और उसकी ऋणी हो तो ऐसे सहकारी बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा जिसकी बैंक/समिति अत्यधिक ऋणी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि बैंक/समिति का अधिकतम दायित्व विशेष परिस्थितियों में, निबन्धक की विशेष स्वीकृति से उपर्युक्त निश्चित सीमा से अधिक हो सकता है।

(ख) सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक द्वारा निर्धारित और निबन्धक द्वारा स्वीकृत अधिकतम दायित्व के अभ्यधीन बैंक/समिति उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे, सदस्यों और गैर सदस्यों से अमानतें लेकर धन एकत्र कर सकता है। बैंक/समिति ऋण पत्र (डिबेंचर) बांड या प्रामिजरी नोट जारी करके अथवा भूमि, भवन या बैंक/समिति की अन्य सम्पत्ति बंधक रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से भी जिसे संचालक मण्डल उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकता है।

१०–संगठन और प्रबन्ध

बैंक/समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित संस्थाओं और अधिकारियों के हाथ में होगा :—

(क) सामान्य निकाय,

(ख) संचालक मण्डल,

(ग) सभापति/उपसभापति,

(घ) सचिव।

(क) सामान्य निकाय–बैंक/समिति की सामान्य निकाय में निम्नलिखित होंगे :–

(१) समस्त सदस्य, यदि उनकी संख्या २५० से अधिक नहीं है। या

(२) सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा, यदि उनकी संख्या २५१ या उससे

अधिक है। बैंक/समिति का संचालक मण्डल, जिला सहायक निबन्धक के अनुमोदन से प्रत्येक १० सदस्यों के निर्वाचन समूह बनायेंगे। विशेष परिस्थितियों में इस संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है सम्बन्धित सदस्य अपनी समूह की ओर से बैंक/समिति की सामान्य निकाय में उपस्थित होने के लिए अपने में से एक प्रतिनिधि चुनेंगे।

सामान्य बैठक :

सामान्य निकाय की बैठक निम्न दो प्रकार की होगी :—
(क) वार्षिक, और (ख) अन्य सामान्य बैठक।

वार्षिक सामान्य बैठक :

(क) बैंक/समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष में, वार्षिक विवरणियों प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा ६४ के अन्तर्गत लेखों को परीक्षण हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र ३० नवम्बर तक चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी : प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक ३० नवम्बर के पश्चात् भी बैंक/समिति को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकते हैं। और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक उस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(१) संचालक मण्डल द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिए तैयार किये गये बैंक/ समिति के कार्यकलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन,

(२) नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन :—

(क) सात/नौ/ग्यारह संचालक मण्डल के सदस्य

(ख) उक्त निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्यों में से सभापति/ उप-सभापति।

(३) गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र (बैलेन्स शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जबकि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(४) नियम ९२ के अनुसार गत सहकारी वर्षों के लेखा परीक्षा प्रमाण

पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(५) आगामी सहकारी वर्ष के लिए बैंक/समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

(६) शुद्ध लाभ का निस्तारण।

(७) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

(८) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय।

(ख) अधिनियम की धारा ३१ में किसी बात के होते हुए भी, सचिव का और सचिव की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल के सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपरोक्त उपधारा "क" के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाए और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथा-विधि प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

यदि बैंक/समिति की वार्षिक सामान्य बैठक लेखों में परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम ९१ के अधीन हो, तब उपरोक्त उपविधि के उपधारा (३), (४) और (६) में उल्लिखित विषयों पर बैंक/समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जायगा।

अन्य सामान्य बैठकें :

(१) संचालक मण्डल बैंक/समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब-जब आवश्यक हो, बैंक/समिति के सामान्य निकाय को सामान्य बैठक (जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायगा) बुला सकता है।

(२) संचालक मण्डल निबन्धक अथवा बैंक/समिति के सामान्य निकाय के कम से कम १/५ सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त हो जाने के पश्चात् एक मास के भीतर बैंक/समिति की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायगा) बुलायेगा। संचालक मण्डल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निदेश दे, साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

(३) सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के मांग पत्र पर

प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिए और उसे बैंक/समिति के पंजीबद्ध कार्यालय में दे देना चाहिए।

(४) सामान्य निकाय की बैठक के लिए कम से कम १५ दिन की सूचना आवश्यक होगी। बैठक की नोटिस, दिन, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुए, हर सदस्य के पंजीबद्ध पते पर डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भेजी जायगी।

(५) सदस्यों की मांग पर हुई सामान्य निकाय में बैठक की सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा। अन्य सभाओं में सभापति उन विषयो पर भी विचार की अनुमति दे सकते हैं जो विचाराधीन विषयों में सम्मिलित नहीं है।

बैठक के लिए गणपूर्ति

(क) सामान्य निकाय के सदस्यों का १/५ अथवा ३० सदस्यो में से जो भी कम हो, सामान्य बैठक की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

(ख) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उस तिथि तथा समय के लिए स्थगित समझी जायगी जैसा उपस्थिति सदस्य निश्चित करें। ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति सामान्य निकाय की मौलिक गणपूर्ति की आधी होगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैंक सदस्यों के अधियाचन पर बुलाई गई हो तो वह निश्चित समय से एक घंटे के भीतर गणपूर्ति के अभाव मे विघटित हो जायगी।

बैठक का सभापतित्व :

प्रत्येक बैठक का सभापतित्व बैंक/समिति का सभापति करेंगे। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व करेंगे। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्य अपने मे से किसी एक को बैठक का सभापति के लिये चुनेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जाना हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

बैठक में विषयों का निस्तारण :

(क) किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे जब तक कि अधिनियम नियमों

या उपविधियों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतो के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मण्डल का कोई सदस्य, किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

(ख) जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(ग) प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक प्रतिनिधि बैंक/समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य तथा प्रतिनिधि को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

(ख) संचालक मण्डल :

(क) बैंक/समिति का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल मे निहित होगा। संचालक मण्डल में सदस्यों/प्रतिनिधियों में से सात/नौ/ग्यारह निर्वाचित संचालक होगें।

संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता :

कोई व्यक्ति बैंक/समिति के संचालक मण्डल का न तो सदस्य चुना जायगा या बना रहेगा यदि :—

(१) (क) उसकी आयु २१ वर्ष से कम है,

(ख) वह दिवालिया घोषित हो,

(ग) वह विकृत चित्त, बहरा और गूंगा या अंधा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,

(घ) उसे निबन्धक की राय में नैतिक पतन सम्बन्धित अपराध के लिये दण्ड दिया गया है और ऐसा दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो,

(ङ) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, बैंक/समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा बैंक/समिति करती हो।

(च) वह अधिनियम, या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल बैंक/समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे।

(छ) वह बैंक/समिति के अंतर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो।

(ज) वह बैंक/समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा ९१ के अधीन कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(ट) यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में कम से कम ६ माह से बकायादार हो।

(ठ) वह तीन अन्य समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो।

(ड) वह सरकारी सेवा या किसी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो!

(ढ) वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा ७२ के उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।

(ण) वह अधिनियम, नियम या उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(२) संचालक मण्डल का सदस्य यदि वह संचालक मण्डल की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थिति रहता है तो वह अस्थाई रूप से संचालक मण्डल का सदस्य न रहेगा :—

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति इस उपविधि के अन्तर्गत

अर्जित अनर्हता की नोटिस पाने के पन्द्रह दिन के अन्दर निबन्धक या ऐसे अधिकारी को जिसका पद सहायक निबन्धक से कम न होगा और जो निबन्धक द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो, के पास प्रतिवेदन (रिप्रजेंटेशन) कर सकता है और जहां निबन्धक अथवा अधिकृत अधिकारी यथास्थिति इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि सम्बन्धित व्यक्ति की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण थे तो वह आदेश द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी घोषणा करने पर अस्थाई रूप से अर्जित अनर्हता समाप्त हो जायगी और यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति संचालक मण्डल का सदस्य बना रहा।

स्पष्टीकरण :–निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा अधिकृत अधिकारी जहां तक सम्भव होगा ऐसे प्रतिवेदन (रिप्रजेन्टेशन) पर तीस दिन में अपना निर्णय देंगे।

(३) कोई व्यक्ति जो बैंक/समिति के संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाय, आमेलन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(४) उक्त उपविधि (१) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता, यथास्थिति दण्ड की समाप्ति के दिनांक से या पदच्युति के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लागू न रह जायगी।

(५) ज्यों ही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधियों में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो संचालक मण्डल उस तथ्य पर इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में विचार करेगा। ऐसी बैठक की कार्य सूची की एक प्रति उस संचालक को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायगी यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता/अनर्हताओं के कारण संचालक मण्डल की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को संचालक मण्डल अथवा उसकी किसी उपसमिति की बैठक में भाग लेने के अनुज्ञा नहीं दी जायगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त घोषित किया जायगा।

यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त

होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त उपविधि के खण्ड २ में अंकित अनर्हता की दशा में उपरोक्त उपविधि के खण्ड ५ में वर्णित संकल्प पारित किया जा सकता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परन्तु उसे सदस्य की हैसियत से कार्य करने से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि उसकी अनुपस्थिति उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण में हुई घोषित की गई है।

ऐसे मामलों में मध्यस्थता प्राप्त करने का प्रश्न तभी उठेगा जब कोई पक्ष यथास्थिति निबन्धक द्वारा या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के कारण क्षुब्ध हो।

संचालक मण्डल का कार्यकाल

(१) सिवाय नियम ४०६, ४३३, ४३४ और ४३५ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के बैंक/समिति के संचालक मण्डल का कार्यकाल तीन सहकारी वर्ष होगा, जिसके अन्तर्गत उसके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी है :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सदस्य पद ग्रहण किये रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी अधिनियम और नियमों के उपखण्डों के अधीन निर्वाचित न हो जायं।

स्पष्टीकरण :-किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल निश्चित करने के लिए इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि इस वर्ष में निर्वाचन के बाद कितनी अवधि शेष रही, सहकारी वर्ष जिसमें निर्वाचन हुआ, पूरा एक वर्ष समझा जायगा।

(२) कोई भी व्यक्ति संचालक मण्डल में निर्वाचित किये जाने के लिए पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक बैंक/समिति में पद धारण किया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि नियम ४०४ या ४३४ या ४३५ या अधिनियम ३५ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन, संगठित संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना, पात्रता के प्रयोजनार्थ इस उपविधि के अधीन अवधि की गणना करने के लिए नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण :—(१) यदि नियम लागू होने के समय कोई व्यक्ति बैंक/समिति के संचालक मण्डल का सदस्य है और यह नियम लागू होने के पश्चात् वह पुनः संचालक चुन लिया जाता है अथवा आमेलित किया जाता है तो वह नियम ४४९ के अनुसार यह समझा जायगा कि वह ऐसे निर्वाचन और आमेलन के पूर्व एक कार्यकाल तक बैंक/समिति में पद धारण किये था।

(२) प्रत्येक ऐसा सदस्य कम से कम लगातार तीन सम्पूर्ण सहकारी वर्ष तक संचालक मण्डल का सदस्य न रहने के पश्चात् पुनः संचालक मण्डल का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो जायगा।

संचालकों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति

यदि संचालक मण्डल में निर्वाचित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो तो वह संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से जो संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए पात्र हों, आमेलन द्वारा पूरी की जायगी।

संचालक मण्डल की बैठक

(क) संचालक मण्डल बैंक/समिति का कार्य करने के लिए बैठक कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे बैठक का नियंत्रण कर सकता है। संचालक मण्डल की किसी बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) यदि संचालक मण्डल का कोई सदस्य बहुमत की राय से असहमत हो तो वह अपने मतभेद को कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करने के लिए आग्रह कर सकता है, जिसे सभापति को उचित रूप से लिपिबद्ध करना होगा।

संचालक मण्डल की बैठक गणपूर्ति

संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति तीन/चार संचालकों से होगी। संचालक मण्डल की बैठक के लिए सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी संचालक मण्डल की बैठक बुलाई जा सकती है।

संचालक मण्डल के साधारण अधिकार

बैंक/समिति के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध, संचालक मण्डल द्वारा होगा जिसे अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने, ऐसी सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्यवाहियां करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो बैंक/समिति के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्यों से बैंक/समिति की स्थापना हुई है उनकी पूर्ति एवं बैंक/समिति के हित साधन तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं उचित होंगे।

संचालक मण्डल के स्पष्ट अधिकार

इन उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की उपेक्षा किये बिना संचालक मण्डल को निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से सौंपे जाते हैं :—

(१) सहकारी बैंक अन्य किसी बैंक या केन्द्रीय या राज्य सरकार से इन उपविधियों के अन्तर्गत बैंक/समिति के कार्य के लिये समय-समय पर आवश्यक धनराशि एकत्र करना या ऋण लेना और सिक्योरिटियां, अंश तथा बैंक/समिति की अन्य सम्पत्ति ऐसे ऋण, रोक ऋण (कैश क्रेडिट) और अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) आदि के अन्तर्गत गिरवी रखना।

(२) सदस्यों को ऋण तथा अग्रिम देना।

(३) ऋण की समय पर अदायगी की देखभाल करना तथा ऋण की वसूली की समुचित व्यवस्था करना।

(४) ऋण की अदायगी का समय बढ़ाना।

(५) अंश की किश्तों की बकाया के सम्बन्ध में आदेश जारी करना।

(६) बैंक/समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन, रोकड़ पत्र और लाभ निस्तारण के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

(७) बैंक/समिति की लेखा परीक्षा की गई वार्षिक रोकड़ पत्र को प्रकाशित करना।

(८) बैंक/समिति द्वारा स्वीकृत या अभ्यर्थित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किसी पट्टे की शर्तों या समझौतों का पालन करना और सारे लगान का बैंक/समिति की ओर से भुगतान करना।

यदि आवश्यक हो तो बैंक/समिति के सभी या किसी भवन, माल अथवा अन्य सम्पत्ति या अन्य प्रतिभूति (सिक्योरिटी) का या तो अलग से या मिल कर उस अवधि और सीमा तक के लिए बीमा कराना या उसे चालू रखना जिसे संचालक मण्डल उचित समझे और अधिकार के अनुसार किये गये किसी बीमे या बीमा-पत्र (पालिसी) को बेचना, अभ्यर्थित करना, समर्पित करना अथवा उसे चालू न रखना।

(१०) बैंक/समिति के कार्य के लिये जो अधिकार पत्र, सहमति पत्र, उद्धरित लेख, रसीद और अन्य दस्तावेज आदि लिखना आवश्यक हो, उन्हें लिखना।

(११) किसी ऋण या स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने का समय देना।

(१२) ऐसी सारी कार्यवाहियां और वाद, जिन्हें संचालक मण्डल चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना।

(१३) सभापति और सचिव द्वारा किये गये प्रासंगिक व्ययभार की स्वीकृति देना।

(१४) अधिनियम और नियमों के अधीन बैंक/समिति की निधियों का विनियोजन करना।

(१५) बैंक/समिति के अभिलेखों (कागजात) की अभिरक्षा तथा उनके रख-रखाव के लिए बैंक/समिति के कर्मचारी/कर्मचारियों को अधिकृत करना।

(१६) आय-व्ययक (बजट) में नियत की गई धनराशि के अंतर्गत खर्च करना।

(१७) बैंक/समिति की धनराशि और सम्पत्ति को प्राप्ति निस्तारण तथा अभिरक्षा की व्यवस्था करना।

(१८) निबन्धक और उनके सहायकों द्वारा किये गये निरीक्षण पत्रों पर विचार करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना, और इस सम्बन्ध में जहां आवश्यक हो सामान्य निकाय के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

(१९) अधिनियम की धारा ३१ तथा नियम १२६ और अधिनियम की धारा १२१ और १२२ के अधीन बने नियम के अधीन, सचिव की नियुक्ति करना

उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दंडित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना ।

(२०) बैंक/समिति के कारोबार के प्रबन्ध में सचिव की सहायता के लिए अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दंडित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना ।

(२१) नियम १७६ के उपबन्धों का पालन करते हुए बैंक/समिति का कारोबार चलाने के हेतु कोई भूमि या भवन (चाहे फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड अथवा अन्य प्रकार की हो) क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना ।

(२२) बैंक/समिति की ओर से सहकारी बैंक में तथा किसी अन्य संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना ।

(२३) नियम ९३ के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना ।

(२४) (१) नियम ६४ के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेखों को, ऐसे शुल्क पर देना जिसकी स्वीकृति निबन्धक से प्राप्त कर ली है ।

(२) नियम ३७६ के अधीन बैंक/समिति के लेखो तथा अभिलेखों के निरीक्षण करने के लिए शुल्क निर्धारित करना ।

(२५) बैंक/समिति के सभापति/सचिव या किसी अन्य अधिकारी को, अपने समस्त या किसी अधिकार या कर्त्तव्य जो उसे आरोपित या प्रदत्त हैं, समय-समय पर उस सीमा तथा शर्तों पर जिसे वे उचित समझे, सौंपना ।

संचालक मण्डल के कार्य की वैधता

संचालक मण्डल के कार्य, संचालक मण्डल मे रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेगें मानों कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी ।

बैठकों का स्थान

बैंक/समिति की सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक बैंक/समिति के मुख्यालय पर होगी ।

(ग) सभापति/उपसभापति :

(१) सभापति बैंक/समिति के मामलों तथा कार्य के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण तथा पथप्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा । और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमो, उपविधियों तथा संचालक मण्डल के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें, उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थितियों (संकटकाल) में संचालक मण्डल के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा । इस बात का निर्णय सभापति स्वयं और जैसा नियमों में अन्यथा उल्लिखित हो, निर्णय करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति (संकटकाल) आ गयी है । वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैंक/समिति का कारोबार दृढ़ रूप से और उपविधियों के अनुकूल चल रहा है ।

(२) उप-सभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय, और संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा । और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा । जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायं ।

(घ) सचिव :

सचिव बैंक/समिति का कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति और संचालक मण्डल के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिसकी व्यवस्था नियमों या उपविधियों में की गयी है, वह :—

(क) बैंक/समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के उत्तरदायी होगा ।

(ख) बैंक/समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा ।

(ग) संचालक मण्डल द्वारा लगाये गये उपबन्धों के अधीन बैंक/समिति के लेखो (एकाउन्ट्स) को परिचालन (आपरेट) करेगा ।

(घ) बैंक/समिति की ओर से और उसके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(ङ) बैंक/समिति की विभिन्न बहियों (रजिस्टरों) और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय से उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(च) सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रक्खेगा।

(छ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमो या उपविधियो के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

११–बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां

सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और बैंक/समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

१२–भत्ते तथा अन्य सुविधाएं

बैंक/समिति के सभापति/उपसभापति तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को नियमों ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८ व ३८९ के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार यातायात भत्तों को भुगतान किया जायगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही उपलब्ध होंगी।

१३–ऋण तथा अग्रिम

(क) संचालक मण्डल के सदस्यों पर लगे हुए ऋणों की सूची वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु रखी जायगी।

(ख) (१) (अ) नियम १९५ के अधीन ऋण सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिये जायेंगे।

(ब) बैंक/समिति द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर ही ऋण के आवेदन पत्र दिये जायेंगे।

(२) ऋण केवल उन आवश्यकताओं और वैध उद्देश्यों के लिए जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है स्वीकृत किये जायेंगे और उनका उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही किया जायगा। ऋण के दुरुपयोग की दशा में संचालक मण्डल ऋण की तुरन्त वापसी की मांग कर सकता है।

(३) सदस्यों द्वारा धृत अंशों तथा चुकता अंशों की कीमत के दस गुने तक ही ऋण दिए जा सकते हैं। केवल स्थाई कर्मचारी ही ऋण लेने के पात्र होंगे।

(४) (अ) ऋण निम्नलिखित तीन प्रकार के होंगे :—

(१) **अति आवश्यक ऋण** :—जिसकी धनराशि एक माह के वेतन से अधिक न होगी और जिसकी अदायगी अधिक से अधिक बारह मासिक किश्तों में की जायेगी।

(२) **साधारण ऋण** :—जिसकी धनराशि चार माह के वेतन या छै सौ रुपए में जो भी कम हो, से अधिक न होगी, और जिसकी अदायगी अधिक से अधिक छत्तिस किश्तों में की जायगी।

(३) **विशेष ऋण** :—जिसकी धनराशि छै माह के वेतन या नौ सौ रुपये में जो भी कम हो, से अधिक न होगी। और जिसकी अदायगी अधिक से अधिक अड़तालिस किश्तों में की जायगी।

नियम १९२ के प्राविधानों के अधीन, यह तीनों ऋण एक साथ चालू रह सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी समय एक सदस्य पर लगे हुए कुल ऋण की धनराशि एक हजार रुपये या उसके सात माह के वेतन की धनराशि में जो भी कम हो, से अधिक न होगी।

(ब) ऋण देते समय पिछले लिए गए ऋणों की किश्तों को

ध्यान में रखकर, ऋण की अदायगी की किश्तें निश्चित की जायेंगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक माह में कुल देय ऋण किश्त की धनराशि सदस्य के वेतन के १/६ भाग से अधिक न होगी।

(स) ऋण की अदायगी की किश्त निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि पूरे ऋण की अदायगी ऋणी अथवा उसके जमानतदारों के सम्भवनीय अवकाश ग्रहण के पूर्व ही हो जायगी।

(द) ऐसा सदस्य को जो पहले ही से किसी अन्य समिति का ऋणी है, ऋण नहीं दिया जायगा।

(५) नियम १९१ के प्राविधानों के अधीन, सदस्यों की व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाने वाले ऋण पर सूद की दर बिना निबन्धक की अनुमति के बारह प्रतिशत से अधिक न होगा।

जीवन पालिसी के समर्पण मूल्य (सरन्डर वैलू), मियादी (फिक्सड) अमानतों की रसीदें, राज्य और अन्य सुनहरी प्रतिभूतियों (जिल्ट एजेड सिक्योरिटियों) की जमानत पर, दिये जाने वाले ऋण के लिए सूद की वह दर होगी जो संचालक मण्डल समय-समय पर निश्चित करे।

(६) कोई भी ऋण नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके लिए निम्नलिखित एक या अधिक जमानत न ली गई हो :—

(१) एक या अधिक सदस्य की जमानत पर

टिप्पणियां :—(अ) एक जमानतदार का आनुपातिक दायित्व ऋण की धनराशि को ऋण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों (अर्थात् मुख्य ऋणी और जमानतदार) की संख्या से भाग देकर निकाला जावेगा। उदाहरण के लिए यदि दिये जाने वाले ऋण की धनराशि तीन सौ रुपये है, जिसका एक मुख्य ऋणी और दो सदस्य जमानतदार हैं तो इस प्रकार ऋण की अदायगी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की संख्या तीन है और प्रत्येक जमानतदार का आनुपातिक दायित्व सौ रुपया होगा।

(ब) कोई भी सदस्य ऐसे धनराशि का आनुपातिक दायित्व ग्रहण न कर सकेगा जो उसके छः माह के वेतन से अधिक है उदाहरण के लिए

कोई सदस्य यदि उसे सौ रुपये मिल रहे हैं तो वह छः सौ रुपये से अधिक की धनराशि के लिए अनुपातिक दायित्व नहीं ग्रहण कर सकेगा। यदि वह पहले से ही डेढ़ सौ रुपये के आनुपातिक दायित्व लिए है तो वह साढ़े चार सौ रुपये से अधिक धनराशि के लिए आनुपातिक दायित्व नहीं ग्रहण कर सकेगा।

(स) जब तक ऋण पूर्णतया अदा नहीं हो जाता तब तक आनुपातिक दायित्व न समाप्त किया जा सकता है और न कम किया जा सकता है।

(२) जीवन पालिसी की जमानत पर उसकी समर्पण मूल्य (सरन्डर वैलू) तक।

(३) मियादी अमानतो की रसीदें, राज्य और अन्य सुनहरी प्रतिभूतियों (जिल्ट एजेड सिक्योरिटीज) की जमानत पर।

(४) अति आवश्यक ऋण बिना किसी अमानत या प्रतिभूति पर दिए जा सकते हैं।

(७) जमानतदार, सदस्यों में से होगा जिसकी स्वीकृति ऋण स्वीकृत करने वाली सत्ता करेगी। यदि जमानतदार मृत्यु अथवा अन्य कारण से जमानतदार नहीं रहता या संचालक मण्डल को राय में लगे हुए ऋण के लिए दी गई जमानत अपर्याप्त है तो ऋणी (यदि वह किसी किश्त के लिए बकायादार है) से अतिरिक्त जमानत तीन माह के अन्दर देने की मांग की जा सकती है या उससे ऋण वापिस लिया जा सकता है।

१४—लाभ वितरण

(१) वर्ष के कुल लाभ से निम्नलिखित मदें घटाने के पश्चात् वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायगा :—

१—दिया गया ब्याज,

२—किया गया प्रबन्ध खर्च,

३—अशोध्य ऋणों के लिए प्राविधान,

४—माल और भवन पर अवमूल्यन,

५—क्षति की अन्य मदें।

(२) (क) शुद्ध लाभ का कम से कम २५ प्रतिशत रक्षित निधि में डाला जायगा।

(ख) शुद्ध लाभ में से कम से कम १ प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में : प्रतिबन्ध यह है यदि किसी विशेष सहकारी वर्ष में अंशदान की जानी वाली धनराशि २५०० रुपये से अधिक हो जाय तो यह बैंक/समिति पर निर्भर होगा कि वह २५०० रुपये से अधिक धनराशि का अंशदान करे अथवा न करे।

(३) समस्त बकाया ब्याज और वह सारा अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज उन सदस्यों से जिन पर ब्याज बकाया हो, डिविडंड (लाभांश) तथा बोनस और बैंक/समिति के विभिन्न निधियों में धन का विनिधान करने हेतु वितरणीय लाभ निकालने के लिए शेष शुद्ध लाभ से निकाल दिया जायगा।

(४) वितरणीय लाभ नियमों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है :—

(१) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर नौ प्रतिशत तक लाभांश का भुगतान,

(२) अशोध्य ऋण निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि, भवन निधि, विनियोजन अवमूल्यन निधि, अंश संक्रमण निधि और लाभांश समकारी निधि के संगठन और अंशदान के लिए,

(३) चेरिटेबिल एनडाउमेंट ऐक्ट १८९० की धारा २ (क) में तथा पारिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए ५ प्रतिशत तक धनराशि का दान,

(४) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाने के लिए।

(५) जो लाभांश चुकता न किया जायगा उस पर बैंक/समिति कोई ब्याज न देगा।

(६) जिस सदस्य पर अंश की कोई किश्तें बाकी होंगी वह अपने अंश के चुकता धन पर लाभांश का अधिकारी न होगा।

(७) समस्त लाभांश जो घोषित होने की तिथि से लेकर ६ वर्ष तक अनर्ध्यथित रहेंगे, संचालक मण्डल द्वारा बैंक/समिति के हित में जब्त किये जा सकते हैं और ऐसा धन रक्षित निधि में जमा किया जायगा।

(८) लाभांश के भुगतान के लिए आवेदन करने पर संचालक मण्डल सदस्यों से यह मांग कर सकता है कि वे उस व्यक्ति के समक्ष जिसे संचालक मण्डल नियुक्त करे, निरीक्षण के लिए अंश के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

१५—अंशदायी भविष्य निधि

बैंक/समिति अपने कर्मचारियों के लिए यदि नियमों के अधीन आवश्यक हो अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडण्ड फण्ड) की स्थापना करेगा, जिसकी व्यवस्था तथा अंशदान, अधिनियम की धारा ६३ तथा नियमों २०१, २०२, २०३ व २०४ के अधीन होगी।

१६—लेखा पुस्तकें तथा रजिस्टर

(क) संचालक मण्डल, बैंक/समिति के कारोबार का सच्चा हिसाब-किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा जिसे वह बैंक/समिति के वास्तविक अर्जित लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिए समय-समय पर उचित समझे। नियम ३६४ की उपधारा (१) के अधीन हिसाब किताब ऐसे रजिस्टरों में और ऐसे ढंग से रखा जायगा, जिसे संचालक मण्डल आदेश दे।

(ख) नियम ३६४ की उपधारा (२) के प्रयोजन के अतिरिक्त बैंक/समिति किसी अभिलेख या लेख पुस्तिकों की छटनी नहीं करेगा।

१७—लेखा परीक्षा

बैंक/समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार, अधिनियम ६४ व नियमों के अनुसार, निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जायगी।

१८—रक्षित निधि

(१) बैंक/समिति की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम १७३ में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायगा।

(२) नियम १६० के अधीन रक्षित निधि अवितरणीय है और किसी सदस्य को उसके किसी विशेष हिस्से पर कोई दावा न होगा।

१९—विवादों का निपटारा

तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, बैंक/समिति

के संगठन प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, बैंक/समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न, कोई विवाद :—

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले, व्यक्तियों के बीच, अथवा

(ख) किसी सदस्य,भूतपूर्व सदस्य अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति और बैंक/समिति, उसके संचालक मण्डल बैंक/समिति के अधिकारी अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच, अथवा

(ग) बैंक/समिति उसके संचालक मण्डल और बैंक/समिति के किसी भूतपूर्व संचालक मण्डल या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा बैंक/समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधि प्रतिनिधि के बीच, अथवा

(घ) बैंक/समिति और किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के बीच उत्पन्न हो,

तो वह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभीदिष्ट किया जायगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई बात अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

२०—उपविधियों में संशोधन

(१) उक्त प्रयोजनों के लिए बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थित कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात् उसमें परिवर्तन या विखंडन किया जा सकता है अथवा नई उपविधि बढ़ाई जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन, जिन्हें करने के

लिए निबन्धक अधिनियम की धारा १४ के उपधारा (१) के अधीन अपेक्षा करे, केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

(२) उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को तीस दिन की नोटिस दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक अधिनियम की धारा १४ के उपधारा (१) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुलाई जाय तो पन्द्रह दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई बैठक निबन्धक की अनुज्ञा से नियम २६ के अधीन १/५ या १/७ के कम गणपूर्ति से बुलाई जाय तो ऐसी बैठक के लिए सात दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

(३) ऐसी बैठक के लिए जिसमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जाय, बैंक/समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई गणपूर्ति अपेक्षित होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में उपरोक्त अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक बैंक/समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलाये, जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके १/५ कर दी जायगी और सदस्यों को इस तथ्य की लिखित सूचना दे:

प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन यह निर्देश दिए जाने पर कि उसे बैंक/समिति द्वारा अंगीकार किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक १/५ से कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, १/७ तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य की बैठक १/७ की और कम की गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित किया जायगा।

२१– पुनर्वित उपविधियों के निबन्धन के पश्चात् सामान्य निकाय की बैठक

(क) इन उपविधियों के निबन्धन के दिनांक के नब्बे दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए निबन्धक द्वारा लिखित रूप में अनुज्ञा दी जाय। अधिनियम की धारा १३१ की उपधारा (७) के अधीन संचालक मण्डल संगठित करने के लिए बैंक/समिति सामान्य निकाय की एक बैठक करेगा, जिसके लिए कम से कम पैंतालिस दिन का नोटिस देगा, जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान और कार्य-सूची (एजंडा) उल्लिखित होगी।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित सामान्य निकाय की बैठक उन सहकारी वर्ष/वर्षों के लिये, वार्षिक सामान्य बैठक समझी जायगी, जिसकी वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई है। उक्त बैठक मे निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे :

(क) बैठक की सभापतित्व करने के लिए व्यक्ति निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठा कर होगा)

(ख) पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों के रोकड़ पत्र (बैलेन्स शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार जिसका लेखा परीक्षण समाप्त हो गया है।

(ग) नियम ९२ के अधीन, पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों का लेखा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर विचार।

(घ) आगामी वर्ष के लिए बैंक/समिति की अधिकतम दायित्व की सीमा निर्धारण।

(ङ) गत सहकारी वर्ष/वर्षों के शुद्ध लाभ का वितरण।

(च) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

(छ) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उनके समक्ष रखा जाय।

(ज) नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन।

२२–निर्वाचन नियम

(१) संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन कार्य-सूची के अंतिम मद

के रूप में बैंक/समिति की वार्षिक सामान्य बैठक में या अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (६) में उल्लिखित सामान्य बैठक, जैसी भी दशा हो, होगा।

(२) संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए बैंक/समिति निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से :

(क) क्षेत्रीय या किसी अन्य युक्ति युक्त आधार पर विभिन्न वर्गों में अपनी सदस्यता विभाजित कर सकता है।

(ख) संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या अथवा उनका अनुपात भी ऐसी रीति से निर्दिष्ट कर सकता है कि संचालक मण्डल मे जहां तक हो सके, यथास्थिति बैंक/समिति के विभिन्न क्षेत्रो या हित को उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो सके।

(३) कोई भी व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी हो जाने के पश्चात् और उस वर्ष निर्वाचन होने तक बैंक/समिति का सदस्य नहीं बनाया जायगा।

(४) वार्षिक सामान्य बैठक का सभापतित्व, सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति करेंगे। सभापति तथा उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्य सामान्य निकाय के किसी अन्य सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुन सकते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति ऐसी सभा का सभापतित्व नहीं करेगा यदि वह स्वयं किसी पद के लिए उम्मीदवार हो।

(५) गणपूर्ति न होने या उपविधियों में व्यवस्थित किसी अन्य कारण से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल बैठक की नोटिस की कार्य-सूची में दिये गये समय तथा स्थान पर १६वें दिन (जिसकी गणनास्थगन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायगी) होगी और कार्य-सूची के केवल उन्हीं मदों को लिया जायगा जोमूल बैठक में रह गये हो।

(६) आगे दिए गए प्राविधानों के अधीन तैयार की गई मतदाता-सूची और वैध नाम-निर्देशन पत्रों की अंतिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिये भी लागू होगी।

(७) बैंक/समिति का सचिव बैंक/समिति की नामावली के ऐसे सदस्यों

की एक सूची तैयार करेगा जो नियमों और बैंक/समिति की उप-विधियों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिये अर्ह हो। ऐसी सूची वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के दिनांक को अथवा उसके पूर्व एक अद्यावधिक की जायगी। सूची में अलग से (अंत में) उन सदस्यों के नाम होंगे जो मतदान करने के लिये अर्ह न हो और उसके साथ ऐसी अनर्हता के कारण भी होंगे तथा ऐसी विधि के (उपविधि सहित) संगत उपबन्धों का उल्लेख भी होगा जिनके अंतर्गत ऐसी अनर्हता हो गई हो। सूची पर सचिव तथा सभापति के हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(८) सूची में अनर्ह दिखाया गया सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निश्चित दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व अपनी अनर्हता दूर कराने की कार्यवाही कर सकता है और यदि निर्वाचन के दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व अनर्हता दूर कर दी जाय तो सम्बद्ध सदस्य को मतदान करने का अधिकार होगा।

(९) सदस्यों की सूची किसी भी सदस्य द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिये बैंक/समिति के कार्यालय में कार्य समय में उपलब्ध रहेगी। सूची की प्रति सदस्यों को बेचे जाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी।

(१०) बैंक/समिति की वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान संचालक मण्डल द्वारा निश्चित किया जायगा। बैठक का स्थान या तो बैंक/समिति का कार्यालय अथवा बैंक/समिति के मुख्यालय के निकट कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है। बैंक/-समिति की वार्षिक सामान्य बैठक ३० नवम्बर के पूर्व किसी दिनांक को, या बढ़ाये गये दिनांक, यदि कोई हो, के भीतर जिसकी अनुमति निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाय, होगी। सामान्य बैठक की नोटिस उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार दी जायगी।

कोई भी व्यक्ति निर्वाचन होने वाली बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं चुने जाने वाले किसी पद का उम्मीदवार हो।

(११) वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जायंगे :

(१) संचालक मण्डल के लिये उतने सदस्य, जिनके लिये बैंक/समिति की उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो,

(२) पूर्ववर्ती उपखण्ड (१) में निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्यों में से सभापति तथा उपसभापति।

(१२) (क) उपरोक्त निर्वाचन के लिये उम्मेदवारों के नाम निर्देशन का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन बैठक में ही किया जायगा। नामों की वापसी के, यदि कोई हो, पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर होगा।

(ख) उक्त खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निबन्धक की, बैंक/समिति के सामान्य निकाय या बैंक/समिति की संचालक मण्डल के अनुरोध पर अथवा अन्यथा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह राय हो कि निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट.....से यह अपेक्षा करेगा कि वह निर्वाचन के निमित्त प्रेषक के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करे और बैंक/-समिति को यह निर्देश देंगे कि वह संचालक मण्डल के सदस्यों का और तत्पश्चात् सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा करे।

(ग) जब निबन्धक उक्त खण्ड (ख) के अधीन निर्देश दे तब बैठक में आवश्यक शलाका-पत्र तैयार किये जायेंगे जिन पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे और बैठक का सभापति प्रेषक की उपस्थिति में गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करायेगा।

(१३) (१) मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे यह मत देना चाहे क्रास चिह्न (×) लगायेगा और तब शलाका पत्र गुप्त रूप से शलाका पेटी में रखेगा। बैंक/समिति अपनी निधियों से अपेक्षित संख्या में तथा प्रकार की शलाका पेटियों की व्यवस्था करेगा।

(२) उपरोक्त खण्ड (१) में प्राविधान को ध्यान न देते हुए, यदि कोई निरक्षक मतदाता अपना मत अपनी इच्छा के उम्मीदवार को मत देने में सभापति की सहायता चाहता है तो सभापति ऐसे मतदाता

को इस प्रकार मत देने में सहयोग देगा कि मतदाता ने किसको मत दिया इसकी जानकारी दूसरों को न हो सके ।

(१४) (१) कोई शलाका पत्र अस्वीकार कर दिया जायगा, यदि

(क) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(ख) उस पर बैंक/समिति की मुहर या सभापति तथा पूर्ववती उपखण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक का हस्ताक्षर न हो,

(ग) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिह्न न हो,

(घ) उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक चिह्न हो ।

(२) यदि किसी शलाका-पत्र पर अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये चिह्न इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किस अभ्यर्थी या किन अभ्यर्थियों को मत दिया गया है तो वह ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अस्वीकार कर दिया जायगा ।

(१५) (१) प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ओर निर्वाचन फल सभापति द्वारा गणना समाप्त होनेके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र घोषित किया जायगा, गणना के समय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार उपस्थित रह सकते हैं ।

(२) निर्वाचन फल बैंक/समिति की कार्यवृत्ति पंजी में भी अभिलिखित किया जायगा और उसे सभापति प्रमाणित करेगा ।

(३) बैंक/समिति का सचिव बैंक/समिति के सूचना पट पर उसी दिन एक सूची लटकायेगा जिसमें निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम होंगे । सूची पर सभापति या पूर्ववर्ती उक्त खण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे ।

(१६) बराबर-बराबर मत की दशा में मामले का निर्णय पर्चा डालकर किया जायगा ।

(१७) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका-पत्र तथा अन्य अभिलेख (कार्यवाहियों की पुस्तिकाओं को छोड़कर) किसी लिफाफे या पात्र में रखे जायेंगे और

सभापति उन्हें मुहरबन्द करेंगे । यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है । सभापति तथा पूर्ववर्ती उक्त खण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक इस प्रकार मुहरबन्द लिफाफा या पात्र बैंक/समिति के सचिव को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति करेगा और छः माह या उस बढ़ी हुई अवधि तक जो निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो के लिए उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के निमित्त उत्तरदायी होगा ।

२३—अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उपसभापति का हटाया जाना

नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही सभापति या उपसभापति अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है ।

२४—उपविधियों का अर्थ

उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो संचालक मण्डल ऐसे मामलों को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय में उसका निर्णय अन्तिम होगा ।